न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–04 / विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), गोण्डा।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं0 477 / 2026

CNR No. UPGD01001473-2026

शिव किशोर आयु 62 वर्ष पुत्र राम लोचन, साकिन–उपाध्यायपुर ग्रेन्ट, थाना मनकापुर, जिला गोण्डा।

————————————प्रार्थी / अभियुक्त।

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश। ———————————————————————————— **अभियोगी।**

मु0अ0सं0 478 / 2019,
धारा 3 / 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम,
थाना मनकापुर, जिला गोण्डा।

दिनांक 11.03.2026

1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी / अभियुक्त **शिव किशोर** के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 478 / 2019, अन्तर्गत धारा 3 / 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, थाना मनकापुर, जिला गोण्डा के प्रकरण में जरिये अधिवक्ता मय शपथ–पत्र के साथ अन्तर्गत धारा–482 बी0एन0एस0एस0 प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा चन्दन कुमार, पूर्ति निरीक्षक द्वारा थाना मनकापुर, गोण्डा में दिनांक 09.12.2019, समय 21:30 बजे विपक्षी शिव किशोर व सोनू के विरूद्ध इस आशय की तहरीर दी गयी कि दिनांक 08.12.2019 को उपजिलाधिकारी मनकापुर द्वारा दूरभाष पर यह अवगत कराया गया कि दतौली पुलिस चौकी द्वारा मैजिक सं०–यू०पी० 43 टी 5027 पर सरकारी खाद्यान्न पकड़ा गया है, जो थाना कोतवाली मनकापुर में रखा है। उपजिलाधिकारी द्वारा दिये गये उपर्युक्त निर्देश के अनुपालन में मेरे द्वारा दिनांक 08.12.2019 को थाना कोतवाली मनकापुर जाकर प्रकरण की जांच की गयी। जांच के समय थाना कोतवाली मनकापुर परिसर में मैजिक सं०–यू०पी० 43 टी 5027 पर 15 बोरी चावल एवं 09 बोरी गेहूं लदा पाया गया। मौके पर उपस्थित मैजिक सं० – यू०पी० 43 टी 5027 के ड्राइवर सोनू यादव का बयान लिया गया। सोनू यादव ने अपने बयान में बताया कि मेरे पिता शिव किशोर यादव पुत्र रामलोचन ग्रामसभा उपाध्यायपुर ग्रन्ट के उचित दर विक्रेता हैं। आज दिनांक 08.12.2019 को मैं समय अपरान्ह लगभग 2 बजे गाडी सं०–यू०पी० 43 टी 5027 से चावल 15 बोरी एस०वी०टी० एवं गेहूं 09 बोरी एस०बी०टी० पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं प्रा०वि० उपाध्यायपुर ग्रन्ट के रसोइया कामता प्रसाद को देने जा रहा था कि विद्यालय से 200 मीटर पहले दतौली पुलिस द्वारा पकड़कर गाड़ी मय खाद्यान्न थाना मनकापुर ले आये। तत्पश्चात् दिनांक 09.12.2019 को ग्राम पंचायत उपाध्यायपुर ग्रन्ट विकास खण्ड मनकापुर की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय विक्रेता शिव किशोर के पुत्र ओम प्रकाश उपस्थित रहे। ओम प्रकाश की देख–रेख में दुकान / गोदाम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान / गोदाम में गेहूं 185 बोरी (प्रति, बोरी लगभग 50 कि०ग्रा०) एवं चावल 121 बोरी (प्रति बोरी लगभग 50 कि०ग्रा०) एवं 02 ड्रमों में मिट्टी तेल लगभग 300 ली० पाया गया। विक्रेता के पुत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये स्टाक रजिस्टर के अनुसार माह दिसम्बर 2019 हेतु विक्रेता द्वारा

Digitally signed by DANISH HASNAIN
Date: 2026.03.26 11:31:06 AEST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दिनांक 01.12.2019 को विपणन गोदाम मनकापुर से अन्त्योदय योजनान्तर्गत गेहूं 18.40 कु०, चावल 13.18 कु०, पात्र गृहस्थी योजनान्तर्गत गेहूं 62.58 कु० व चावल 41.72 कु० एवं एम०डी०एम योजना का गेहूं 11.06 कु० व चावल 21.20 कु० का उठान किया गया। मौके पर दुकान में पाये गये उपरोक्त खाद्यान्न / मिट्टी तेल को कब्जे में लेकर गवाहान की उपस्थिति में निकटवर्ती ग्रामसभा चौबेपुर के विक्रेता शोभाराम की सुपुर्दगी में दे दिया गया। ओएसिस द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार विक्रेता के पास पूर्व माह का अवशेष खाद्यान्न अन्त्योदय योजनान्तर्गत गेहूं 03.40 कु०, चावल 2.55 कु० एवं पात्र गृहस्थी योजनान्तर्गत गेहूं 19.59 कु० चावल 13.06 कु० है। इस प्रकार पूर्व अवशेष कुल गेहूं 22.99 कु० एवं चावल 15.61 कु० है। विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराये गये ई–पास मशीन का परीक्षण करते हुये वितरण की पर्ची निकाला गया। परीक्षणोपरान्त पाया गया कि जांच दिनांक 09.12.2019 तक विक्रेता द्वारा कुल गेहूं 10.11 कु० व चावल 6.99 कु० का वितरण किया गया है। इस प्रकार विक्रेता के गोदाम में कुल गेहूं 104.92 कु० एवं चावल 84.72 कु० अवशेष होना चाहिये, किन्तु विक्रेता के गोदाम में 92.50 कु० गेहूं एवं 60.50 कु० चावल पाया गया। इस प्रकार विक्रेता की दुकान पर गेहूं 12.42 कु० व चावल 24.22 कु० कम पाया गया। विक्रेता की दुकान पर उपलब्ध खाद्यान्न की मात्रा कम पाये जाने के कारण एवं विक्रेता के पुत्र सोनू यादव द्वारा मैजिक सं० यू०पी० 43 टी 5027 में 15 बोरी चावल व 09 बोरी गेहूं अवैध रूप से वाहन पर ले जाया जाना, जिसको पुलिस के द्वारा पकड़कर थाने में खड़ा करवाना एवं सोनू द्वारा बयान दिया जाना कि उक्त खाद्यान्न मेरे द्वारा पू० मा० विद्यालय एवं प्रा०वि० विद्यालय उपाध्यायपुर ग्रन्ट ले जाया रहा था, जबकि पू० मा० विद्यालय एं प्रा०वि० उपाध्यायपुर ग्रन्ट एम०डी०एम० योजना का गेहूं 09.46 कु० व चावल 17.86 कु० होना चाहिये, किन्तु वाहन में लगभग 07.50 कु० चावल व 04.50 कु० गेहूं पाया गया। अर्थात् दोनो में भिन्नता पाये जाने पर भी एवं रविवार का दिन होने से विक्रेता के पुत्र सोनू द्वारा दिया गया बयान संदिग्ध है। जिससे यह प्रतीत होता है कि विक्रेता शिव किशोर एवं उसके पुत्र सोनू द्वारा मैजिक सं० – यू०पी० 43 टी 5027 पर 15 बोरी चावल व 09 बोरी गेहूं कालाबाजारी हेतु बेचने के लिये ले जाया जा रहा था। अतः उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

3– वादी मुकदमा के उक्त तहरीर के आधार पर थाना मनकापुर, गोण्डा में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट नामित अभियुक्तगण शिव किशोर व सोनू के विरूद्ध दिनांक 09.12.2019 को समय 21:30 बजे, अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पंजीकृत हुई। विवेचनोपरान्त आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

4– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत के आवेदन में आधार लिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमें में फर्जी फंसा दिया गया है, उसके खिलाफ ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि जिससे जुर्म साबित हो सके। आवेदक/अभियुक्त तथा ग्राम प्रधान के बीच सन् 2016 से मुकदमा बाजी चली आ रही है तथा ग्राम प्रधान एवं दो अन्य लोग धारा 307 भा0दं0सं0 के मुकदमें में मुजरिम है तथा आवेदक/अभियुक्त का लड़का सोनू उर्फ सुनील उक्त मुकदमा में वादी मुकदमा है। आवेदक/अभियुक्त के लड़के ने 15 बोरी एस0बी0टी0 गेंहू एवं 9 बोरी एस0बी0टी0 चावल मैजिक सं0 यू0पी0 43 टी 5027 जो भाड़े पर चलती थी, बुलाकर राशन को लादा और विद्यालय के लिये लेकर जा रहा था कि 200 मीटर पहले दतौली चीनी मिल के पास पुलिस द्वारा ग्राम प्रधान के इशारे पर रोक लिया और राशन सहित मैजिक को तथा आवेदक/अभियुक्त के लड़के को थाना मनकापुर ले गये। रसोइया कामता प्रसाद द्वारा लिखकर

दिया कि मेरे द्वारा राशन की मांग किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न जमानत प्रार्थना पत्र है। अभियोजन पक्ष का यह कथन कि गेंहू 12.42 कु0 एवं चावल 24.22 कु0 कम पाया गया, असत्य है। सत्य यह है कि आवेदक/अभियुक्त का दो मकान बना हुआ है, गेंहू 92.05 कु0 एवं चावल 605 कु0 रखा था, जगह कम होने के कारण दूसरे मकान जो करीब 20 मीटर दूरी पर है, गेंहू 12.42 एवं चावल 24.22 कु0 रखा था। निरीक्षण के दौरान न तो प्रार्थी/अभियुक्त मौके पर मौजूद था और न ही उसको बुलाया गया, मात्र उसके पुत्र जो घटना के समय किशोर था, उसके सामने निरीक्षण किया जाना कहा गया है। धारा–307 भा0दं0सं0 के मुकदमें में गवाही चल रही थी, गवाही देने न्यायालय पर न जा पाये, दबाव बनाने के लिये ग्राम प्रधान द्वारा पुलिस से मिलकर फर्जी मुकदमा कायम कराया गया है। इन कथनों के आधार पर आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

5– अभियोजन की तरफ से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है तथा कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6– मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के तर्को को सुना तथा प्रपत्रों का सम्यक् अवलोकन किया।

7– दण्ड प्रक्रिया संहिता (उ0प्र0 संशोधन) अधिनियम 2018 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 4 सन् 2019) धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता जो वर्तमान में **भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 482** के तहत इस न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करेः–

(1) अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता, (2) आवेदक का पूर्ववत्त जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या व किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले ही कारावास भुगत चुका है। (3) न्याय से भागने की सम्भाव्यता और, (4) जहां आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफतार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उददेश्य से अभियोग लगाया गया हो, या आवेदन तत्काल अस्वीकृत कर सकता है, या अग्रिम जमानत मन्जूर करने के लिये अन्तरिम आदेश जारी कर सकता है।

अशोक कुमार शर्मा बनाम स्टेट आफ राजस्थान 1980 सी0आर0एल0जे0 के निर्णय द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि आवेदक यह प्रथम दृष्टया दर्शाने में विफल रहता है कि उसे मात्र लज्जित करने के उद्देश्य से झूठे मुकदमे में गिरफतार किया जायेगा तो ऐसी दशा में विफल रहने पर उसकी अग्रिम जमानत स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

8– प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त जो कि उचित दर विक्रेता है, पर यह अभियोग लगाया गया है कि खाद्यान्न वितरण की जांच में आवेदक/अभियुक्त के द्वारा खाद्यान्न दुकान से 7.50 कु0 चावल व 4.50 कु0 गेंहू वाहन मैजिक सं0–यू0पी0 43 टी 5027 से कालाबाजारी हेतु ले जाना पाया गया, जो कि उ०प्र० आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश 2016 एवं अनुबन्ध पत्र की विभिन्न शतों का स्पष्ट उल्लंघन के साथ–साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित करते हुए वस्तु/खाद्यान्न वितरण में हेरा–फेरी की गयी है। जबकि आवेदक/अभियुक्त द्वारा उक्त अपराध से इंकार करते हुए ग्राम प्रधान द्वारा उसे फर्जी तरीके से फंसाने का कथन अपने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में

किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक नामजद अभियुक्त है। दौरान विवेचना वादी मुकदमा द्वारा विवेचक को दिये गये बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया गया है कि विक्रेता श्री शिव किशोर एवं उसके पुत्र श्री सोनू द्वारा मैजिक सं0–यू0पी0 43 टी 5027 पर 15 बोरी चावल व 09 कि0ग्रा0 गेंहू कालाबाजारी हेतु बेंचने के लिये ले जाया जा रहा था। प्रपत्रों से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रश्नगत उचित दर खाद्यान्न की दुकान का विक्रेता है। जिससे यह स्पष्ट है कि अभियुक्त को क्षति पहुंचाने एवं अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग नहीं लगाया गया है। अभियुक्त द्वारा अपने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में जो अन्य कथन किए गये हैं, उक्त पर विचार विचारण के दौरान किया जायेगा। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के अनुसार आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत दिए जाने पर उसके द्वारा साक्ष्य से छेडछाड़ की सम्भावना व्यक्त की गयी है।

जहां तक आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि सहअभियुक्त सोनू का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है, तो यहां यह उल्लेखनीय है कि सहअभियुक्त सोनू का नियमित जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है, न कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र। इस सन्दर्भ में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्रीकान्त उपाध्याय बनाम स्टेट ऑफ बिहार आदि 2024 एस0सी0सी0 ऑनलाइन एस0सी0 282** में यह विधि स्थापित की गयी है कि *''अग्रिम जमानत याचिका व नियमित जमानत याचिका की शर्तें भिन्न होती है एवं सिद्धान्त भी भिन्न होते हैं। जेल एक अपवाद है एवं जमानत अधिकार है, यह सिद्धान्त अग्रिम जमानत याचिका पर लागू नहीं होता है।''*

कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है तथा अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है, जिसका प्रसंज्ञान सी0डी0 प्रपत्रों के अवलोकनोपरान्त न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गोण्डा द्वारा दिनांक 20.01.2023 को लिया जा चुका है। ऐसे में मामले के तथ्यो, परिस्थितियों व अपराध की गम्भीरता तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सम्मानित विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **शिव किशोर** की ओर से मुकदमा अपराध सं0 478/2019, अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, थाना मनकापुर, जिला गोण्डा के मामले में प्रस्तुत **अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं0 477/2026 निरस्त** किया जाता है।

(दानिश हसनैन)
J.O.Code UP 2727
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–4/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), गोण्डा।

दिनांक 11.03.2026